न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/डिक्री/टी.ए./5495/2005/हनुमानगढ

1– उदमीराम पुत्र आदूराम
2– ओमप्रकाश पुत्र हरीराम
3– अर्जन पुत्र राजाराम
4– राजाराम पुत्र सुल्तान
समस्त जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ
2– अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड, हनुमानगढ
3– जिला वन संरक्षक अधिकारी, हनुमानगढ
4– राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अभिषेक छाबडा, ब्रीफ होल्डर, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांकः 27–07–2022

अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या–38/2005 बउनवानी उदमीराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के न्यायालय में एक

राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण की खातेदारी की भूमि चक नम्बर 13 एसएलडब्ल्यू पत्थर नम्बर 189/318 किला नम्बर 1, 2, 3, 4 पत्थर नम्बर 193/318 किला नम्बर 1, 2 पत्थर नम्बर 192/318 किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 पत्थर नम्बर 190/318 किला नम्बर 1, 2, 3, 4 व 5 में लगे वृक्षों को उखाडने का प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण को कोई कानूनी हक नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी में लगे वृक्षों को उखाडने व वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहद नहीं करें। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर जवाबदावा पेश कर वाद में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 29-03-2005 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29-10-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि नक्शे में दिखाये गये ई एफ जी एच काश्तकारों की भूमि है, जिस पर सिचाई विभाग द्वारा पेड लगाये गये है और नक्शे में दिखाई गयी भूमि ए बी सी डी सिचाई विभाग की है, जो खाली पडी है। प्रदर्श-ए जमाबन्दी के अनुसार भूमि मेरे नाम की है मेरी जमीन पर उगे हुए पेडों को काटने का किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है और मौजूदा प्रकरण में स्वामित्व का कोई विवाद भी नहीं है और वादी ने अपने बयानों में विवादग्रस्त भूमि को अपनी होना बताया है और इसके समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्श-1 लगायत 4 पेश की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन किये बिना ही वादी का वाद व अपील खारिज कर दी। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वे उसकी आराजी में उगे पेड नहीं काटे।

5- विद्वान राजकीय अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि वादी का वाद धारा 188 टिनेन्सी एक्ट का है। वादी संख्या-3 केवल 1/4 भाग का खातेदारी अधिकार रखता है अन्य खातेदार तो खातेदार ही नहीं है तो उन्हें दावा करने का अधिकार नहीं है। नहर होना निर्विवाद है और

इसकी बाउण्डरी 40फीट है। वादी स्वयं यह मानता है कि वन विभाग द्वारा पेड लगाये गये और वे ही काट रहे है। वादी का मुख्य तर्क है कि 15फीट तक ही नहर की बाउण्डरी है, उसके बाद उसकी जमीन है जबकि 40फीट तक की जमीन नहरी विभाग द्वारा अवाप्त की हुई है। दस्तावेजात पेश किये है और दोनों प्रतिवादी गवाहों ने इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य सहित साबित किया है। लैण्ड प्लान एरिया के अनुसार मौका रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गयी है। दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। कोई कानूनी बिन्दू नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

8– प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श–1 जमाबन्दी के अनुसार ओमप्रकाश पुत्र हरीराम का मात्र 1/4 हिस्सा चक 13 एस.एल.डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 189/318 में है अन्य किसी भी जमाबन्दी में किसी पक्षकार का नाम नहीं है। प्रदर्श–4 में दानाराम के पुत्र अर्जुन का नाम अंकित है, जो भी नामान्तकरण के जरिये आया है। प्रतिवादी की ओर से नक्शा प्रदर्श–डी–1 पेश किया है जिसमें हरे रंग से दिखाई गयी नहर गैर मुमकिन नहर के रूप में दशाई गयी है और इसके उत्तरी तरफ पत्थर नम्बर 189, 190, 191 और 182/318 बताया गया है और दक्षिण में किला नम्बर 9, 10, 11, 12 बताये गये है। प्रदर्श–डी–2 जमाबन्दी के अनुसार चक–13एल एल डब्ल्यू में गैर मुमकिन नहर खतौनी संख्या–109 बताई गयी है और लैण्ड प्लान केनाल, सिरसला के अनुसार नहर के नाप बताये गये है और नहर के बाई तरफ 41फीट है और दाहिनी तरफ 25फीट दर्शाया गया है जबकि बयानों के जिरह में वादी उदमी ने कथन किया है कि 15फीट के बाद उसकी जमीन है जबकि वन विभाग ने 40फीट बाउण्डरी मानकर पेड लगाये है और मुझे मेरी जमीन अवाप्ति का पता नहीं है जबकि खण्डन में सूरतसिंह पूनिया, क्षेत्रिय वन अधिकार ने कथन किया कि नहर के बाई तरफ आर.डी. 28 से 31 की भूमि लगती है बाई तरफ 28 से 29 के मध्य 36फीट, 29 से 30 के मध्य 40फीट और 30 से 31 के मध्य 38फीट भूमि है और वन विभाग द्वारा नहरी बाउण्डरी अवाप्तशुदा भूमि में वृक्षारोपरण करा है और परिपक्व होने पर योजना के अनुसार ही हटवाये जा रहे है। नक्शा प्रदर्श–1 जमाबन्दी प्रदर्श–2 पेश की है और इन तथ्यों की ताईद अन्य गवाह डी.डब्ल्यू–2 ने भी अपने बयानों में की है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय और विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य की विवेचना करते हुए ही वादी का वाद नहीं मानते हुए मामला खारिज किया है।

9– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि लगाये गये वृक्ष वादी ने ही लगाये हो, सिद्ध नहीं है और जहां वृक्ष लगाये गये वह जमीन वादी की हो, साबित नहीं है और इस तथ्य की पुष्टि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में की है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यदि जमीन वादी की थी तो नहरी विभाग और वन विभाग द्वारा पेड लगाने के समय आपत्ति क्यों नहीं की और पेड काटने के समय आपत्ति क्यों की। इसलिए इस बिन्दू पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है।

10– दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया कि सीमाकंन रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन वादी की है। चूंकि मामला निषेधाज्ञा का है और निषेधाज्ञा के मामले में स्वामित्व गौण है और लैण्ड प्लान के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 24–4–2004 बनाई भी नहीं गयी है। सरकारी और छोडी गयी खाली जमीन पर कोई पडौसी काश्त कर लेता है अथवा अन्य तरह उपयोग कर लेता है तो उसका अधिकार नहीं हो जाता है। नहरी सीमा की तरफ लगाये गये पेड है जो प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को काटने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क की वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है, मानने योग्य नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने से हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

11– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 38/2005 बउनवानी उदमीराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा वाद संख्या 101/2003 बउनवानी उदमीराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य